

गोवा-उत्तराखण्ड
कृष्णभावा



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाड़ी

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVL. DIVISION
P.W.D BHATWARI (UTTARKASHI) PIN- 249135

E.Mail-eeppwdbhatwari@rediffmail.com

Fax No-01374-244321



पत्रांक
सेवामें

दिनांक 20/10/2023

उत्तरकाशी वन प्रभाग

पत्रांक 2247

दिनांक 12-1

दिनांक 25/10/23

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।

विषय :-

जनपद उत्तरकाशी में बौगा-भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालघार तक विस्तार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.115 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (FP/UK/Road/10851/2015). की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय पत्रांक-8बी0/ यू0सी0पी0/06 /92/2016 /18/ दि0 06/04/2021।

SN.	Conditions	Compliances
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कार्य करने की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंप जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण :- (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.326 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम गेंवला सिविल खसरा नं0 1638 रकबा-0.688 है0 खसरा नं 4951 रकबा -0.627 है0 तथा खसरा नं0 4996 रकबा-1.00 है0 में वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वादेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजाति एंकल प्लांटेशन से बचें। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्ताओं में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। (घ) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	(क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर वानिकी भूमि ग्राम जलकुरगाड आरक्षित वन कंक्ष सं0- 19 वृक्षा रोपण क्षे0 4.23 है0, प्रतिपूरक वनीकरण हेतु रु0 15,68,915.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता सं0-150896110851213 नूनियन बैंक, लोदी कॉम्प्लेक्स ब्रांच, नई दिल्ली के खाते में जमा कर दी गयी है। (जमा चालान की छाया प्रति संलग्न)। (ख) इस शर्त के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किया जा चुका है। (खतोनी की नकल संलग्न है)। (ग) पार्श्व शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा किया जाना है। (घ) पार्श्व शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा किया जाना है।
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य :- (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA 556 दि0 30.10.2020, 01.08.2003, 28.3.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक-5-1/1998-एफ0सी0 (pt. 2) दि0 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दि0 3.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0 दि0 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रसव के तहत 1.163 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	(क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत 2.115 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य के तहत रु0 13,89,555.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या 150896110851213 नूनियन बैंक, लोदी कॉम्प्लेक्स ब्रांच, नई दिल्ली के खाते में जमा करा दी गयी है। (जमा चालान की छाया प्रति संलग्न)

	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्त अभिकरण इस एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(ख) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त, अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो तो उसका भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका प्रमाण पत्र दिया गया है जो कि संलग्न कर प्रेषित है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 96 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	पार्श्व शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
6	State Govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2 The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one Year from the date of issue of such permission.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) द्वारा चालान तैयार कर रु 29,58,470.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या 1508961130851213 यूनियन बैंक, लोदी कॉम्प्लेक्स ब्रांच, नई दिल्ली के खाते में जमा करा दी गयी है। (जमा पर्ची संलग्न)
8	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुपालन हेतु एफ0 आर0 ए0 2006 का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति) संलग्न कर प्रेषित है।
9	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेंगे।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को रज्यीय वन विभाग अथवा अन्य विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लगातार पर भूमि पर, सीमांकन किया जायेगा।	मार्ग के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि उपयोग में न लाये जाने के कारण प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा सीमांकन हेतु धनराशि की मांग नहीं की गयी है।
15	परियोजना कार्य के लिये निष्पादन के लिये निर्माण सामाग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रसवित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दि0 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय समय पर निर्धारित शर्त लागू होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेंगे कि वह अन्य एक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवार बनाई जायेगी। निस्तारण स्थल को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या आवश्यक प्रपत्रों/अभिलेखों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पर अपनी संस्तुति उपरान्त नोडल कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय
29/10/23
अधिरासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:- अपर मुख्य वन संरक्षक नोडल कार्यालय भूमि संरक्षण निदेशालय इन्दिरानगर देहरादून। (ई-मेल द्वारा)
- 2:- अधीक्षण अभियन्ता, छठा वृत्त, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
- 3:- वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनि की रेति, ऋषिकेश। (ई-मेल द्वारा)
- 4:- सहायक अभियन्ता प्रथम, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, भटवाड़ी।

अधिरासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, भटवाड़ी।

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds
Date : 27-03-2022

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BHATWARI
Application No.	8110851213
MoEF/SG File No.	113/UCP/08/02/2018
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD Bhatwari Distt. Uttarkashi Uttarkashi
Amount(In Rs)	2958470/-

Amount In Words : Twenty-Nine Lakh Fifty-Eight Thousand Four Hundred and Seventy Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896110851213 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds
Date : 27-03-2022

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BHATWARI
Application No.	8110851213
MoEF/SG File No.	88/UCP/08/02/2018
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bhatwari Distt. Uttarkashi
Amount(In Rs)	2958470/-

Amount In Words : Twenty-Nine Lakh Fifty-Eight Thousand Four Hundred and Seventy Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896110851213 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

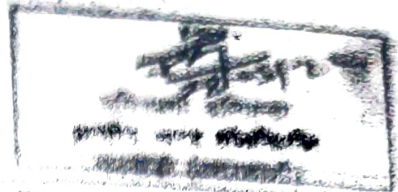
Note: After making the required payment through challan, If the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to
Email: cb0371@unionbankofindia.com

Assistant Engineer
Provincial Division P.W.D.
Bhatwarl

V A 000 135 000 2 000 000

आधार पत्र : आधार

आधार पत्र का प्रयोग
आधार पत्र का प्रयोग
आधार पत्र का प्रयोग



आधार पत्र

आधार पत्र

आधार पत्र का प्रयोग

1	0	3
8	1	0
6	0	5
0		

आधार पत्र का प्रयोग	(आधार पत्र का प्रयोग)
आधार पत्र का प्रयोग	(आधार पत्र का प्रयोग)
आधार पत्र का प्रयोग	(आधार पत्र का प्रयोग)
आधार पत्र का प्रयोग	(आधार पत्र का प्रयोग)
आधार पत्र का प्रयोग	(आधार पत्र का प्रयोग)

आधार पत्र

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	4	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

आधार पत्र का प्रयोग

4	2	2	9
---	---	---	---

आधार पत्र का प्रयोग

14- सोर्स कोड : 1

15- सेक्टर कोड : 2

16- स्टेट कोड (जहाँ आधार पत्र का प्रयोग)

आधार पत्र का प्रयोग			
आधार पत्र का प्रयोग	आधार पत्र का प्रयोग	आधार पत्र का प्रयोग	आधार पत्र का प्रयोग
14004663	13569226	435437	

आधार पत्र का प्रयोग	
आधार पत्र का प्रयोग	आधार पत्र का प्रयोग
54-भूमि का प्रयोग	29-58-470
66-देयक की सफल धनपति (अधिम समाधान के बाद)	29-58-470

OFFICIAL USE

आधार पत्र का प्रयोग	
आधार पत्र का प्रयोग	आधार पत्र का प्रयोग
77- सम्पूर्ण आधार पत्र	
99- देयक की सफल धनपति 66-77	29-58-470

आधार पत्र का प्रयोग

आधार पत्र का प्रयोग

आधार पत्र का प्रयोग

आधार पत्र का प्रयोग

आधार पत्र का प्रयोग

आधार पत्र का प्रयोग

आधार पत्र का प्रयोग

29,58,470

आधार पत्र का प्रयोग

Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
1102422910211000 Mr	Saving	UBIN0903710	150896110851213	2958470	0	0	2958470
Archal Campa				2958470	0	0	2958470

AGENCY COPY

 Union Bank
of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-03-2022

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BHATWARI
Application No.	6110851213
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/92/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD Bhatwari Distt- Uttarkashi Uttarkashi
Amount (in Rs)	2958470/-

Amount in Words : Twenty-Nine Lakh Fifty-Eight Thousand Four Hundred and Seventy Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896110851213 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

For making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through mail: helpdeskcampa@corpbank.co.in

After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to cb0371@unionbankofindia.com

BANK COPY

 Union Bank
of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-03-2022

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BHATWARI
Application No.	6110851213
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/92/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bhatwari Distt-Uttarkashi Uttarkashi
Amount (in Rs)	2958470/-

Amount in Words : Twenty-Nine Lakh Fifty-Eight Thousand Four Hundred and Seventy Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896110851213 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी
 पत्रांक- 19 / 12-1, तददिनांकित। दिनांक 05/07/2021

अतिशारी लीमिटेड
 प्रभागीय वन अधिकारी
 प्रभागीय वन अधिकारी

विषय :-

सम्बन्ध :-

भाषा :-

आपका पत्र उत्तरकाशी के विभागाध्यक्ष महोदय के माध्यम से प्राप्त हुआ है। आपका पत्र सं- 05/07/2021 दिनांक 05/07/2021 को प्राप्त हुआ है।

आपका पत्र सं- 05/07/2021 दिनांक 05/07/2021 को प्राप्त हुआ है।

आपका पत्र सं- 05/07/2021 दिनांक 05/07/2021 को प्राप्त हुआ है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	अतिशारी वनाधिकारी	4230 हे०	3,70,902.00	15,63,915.00
2	अन्य वनाधिकारी	2,115 हे०	इकोलॉजी-V धनराशि-0.3 दर- 6,57,000.00	13,89,555.00

भवदीय

(पुनीत तोमर)

प्रभागीय वनाधिकारी
 उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

पत्रांक 19 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

(पुनीत तोमर)

प्रभागीय वनाधिकारी
 उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E-Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक- 19 / 12 - 1, कोटबंगला दिनांक 05/07/2021

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
प्रांतीय खण्ड, लोहोनी, देहरादून,
भटवाड़ी, उत्तरकाशी।

विषय :-

जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में बोंगा मैलूडा मोटर मार्ग का घण्टियालघार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.115 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/10851/2015)

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र सं०- 8वीं/यू०सी०पी०/ 06/92/2016/18, दिनांक 06.04.2021 तथा आपका पत्रांक 717/2 मू०अ० दिनांक 17.04.2021।

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। शासनादेश में उल्लेखित शर्त सं०-3 व 4 के अनुसार क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु दोगुने क्षेत्रफल पर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्र सं०-1459/3-5-2 पी०अ० दिनांक 01.07.2021 में उल्लेखित निर्धारित दर के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित धनराशि तथा शर्त सं०-5 के अनुसार एन०पी०वी० के निर्धारित धनराशि निम्नानुसार (Challan Generate) कर ऑनलाइन नोडल अधिकारी कार्यालय में जमा करने के उपरान्त जमा धनराशि की चालान सहित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि परियोजना हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही समय से की जा सकें। इसके अतिरिक्त शासनादेश में उल्लेखित सभी शर्तों की अनुपालन आख्या भी इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

क्र० सं०	वृक्ष	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण	4.230 हे०	3,70,902.00	15,68,915.00
2	एन०पी०वी०	2.115 हे०	इकोक्लास-V घनत्व-0.3 दर- 6,57,000.00	13,89,555.00

भवदीय,

(पुनीत तोमर)

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

पत्रांक

19

12 - 1

तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

(पुनीत तोमर)

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 4 का "ख")

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूली कर नामित बैंक में जमा की जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुपालन हेतु एफ0 आर0 ए0 2006 का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति) संलग्न कर प्रेषित है।



कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी



अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जाने का कार्य प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार कर दिया जायेगा ।



कमिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी



अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार कर दिया जायेगा ।



कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार नहीं बदला जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



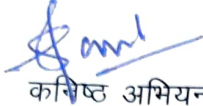
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



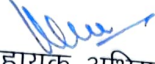
अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को रज्जीय वन विभाग अथवा अन्य विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक इंधन दिया जायेगा।



करिष्ठा अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार परियोजना कार्य के निष्पादन/निर्माण सामाग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

प्रमाण पत्र

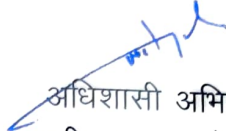
प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

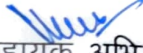

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



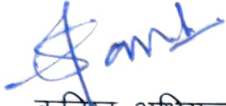
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



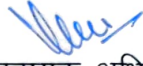
अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

प्रमाण पत्र

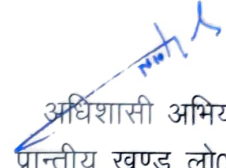
प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दि0 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।



कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी



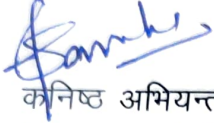
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी



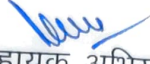
अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय समय पर निर्धारित शर्तें लागू होने का अनुपालन किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगे कि वह अन्य यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवार बनाई जायेगी। निस्तारण स्थल को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति न होने का अनुपाल किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



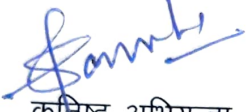
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी का अनुपालन किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
भटवाड़ी



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

सं० ४बी / यू०सी०पी० / ०६ / ९२ / २०१६ / १९

दिनांक: 06/04/2021

जनपद - उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में बोंगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.115 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (online no. FP/UK/ROAD/10851/2015)

- अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-379/X-4-16/1(53)/2016 दिनांक 25.05.2016

उपरोक्त विषय पर अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसका विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी। प्रसंगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाएं चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम न्यायलता प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 13.03.2021 द्वारा भिजवा कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार- जनपद - उत्तरकाशी के वन विभाग के माध्यम से उत्तराखण्ड मटवाड़ी में बोंगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.115 हेक्टेयर वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को साँपे जाने के बाद ही वन भूमि साँपी जाएगी।

प्रतिपूरक वनीकरणः

प्रतिपूरक वनीकरण:
क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.230 हे० अवनत वन मूनि जलकुरगाड क० त० 19 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।

(ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

शुद्ध वर्तमान मूल्य

शुद्ध वर्तमान मूल्य
इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.03.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 13.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोज्य अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.115 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

शुद्ध यामान मूल्य वसूल करेगी।

प्रयोगों के अनुसार 174 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सकल पर्यवेक्षण में रहेंगे। प्रयोगों के अनुसार राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic.in/>) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
गाईडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।
एफ.आर. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राष्ट्रीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

वन-भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तट सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होंगे तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (क०)

वृत्तार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली।
वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकारी वन प्रभाग, उत्तरकारी।
प्रशासकीय।

(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (क०)

उत्तरकाशी जिला
 भारतीय वन विभाग
 भारतीय वन विभाग

उत्तरकाशी के विभागाध्यक्ष कार्यालय में सेवा निवृत्त भोंडा गौरी का निधनान्तर वन विस्तार भोंडा गौरी निर्माण हेतु 2.115 हे० वन भूमि का गैर कृषि कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावाप्त के सम्बन्ध में। (प्रमाण संख्या- FV/UK/10A/10351/2015)

भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र सं०- 8वीं/द०सं०/0/06/02/2010/10, दिनांक 06.04.2021 तथा उत्पन्न पत्रांक 717/2 2020 दिनांक 17.04.2021।

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत निर्माण के निर्माण हेतु सैद्धांतिक प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। शारानादेश में सम्मिलित शर्त सं०-3 य 4 के अनुसार क्षतिपूर्व वृक्षारोपण हेतु लिखित निर्धारित दर के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित घनराशि तथा शर्त सं०-5 के अनुसार 10पी०पी० के निर्धारित घनराशि निम्नानुसार (Challan Generate) कर ऑनलाइन नोडल अधिकारी कार्यालय जमा करने के उपरान्त जमा घनराशि की चालान सहित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट कर, ताकि परियोजना हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही समय से की जा सके। इसके अतिरिक्त शासनार्थ में लिखित सभी शर्तों की अनुपालन आख्या भी इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	दर	जमा की जाने वाली घनराशि
1	2	3	4	5
1	क्षतिपूर्व वृक्षारोपण	4230 हे०	3,70,902.00	15,69,915.00
2	एन०पी०पी०	2.115 हे०	इकोप्लान्ट-V घनत्व-0.3 दर- 6,57,000.00	13,89,555.00

भवदीय,

(पुनीत तोमर)

प्रभागीय वनाधिकारी

उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

पत्रांक 19 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

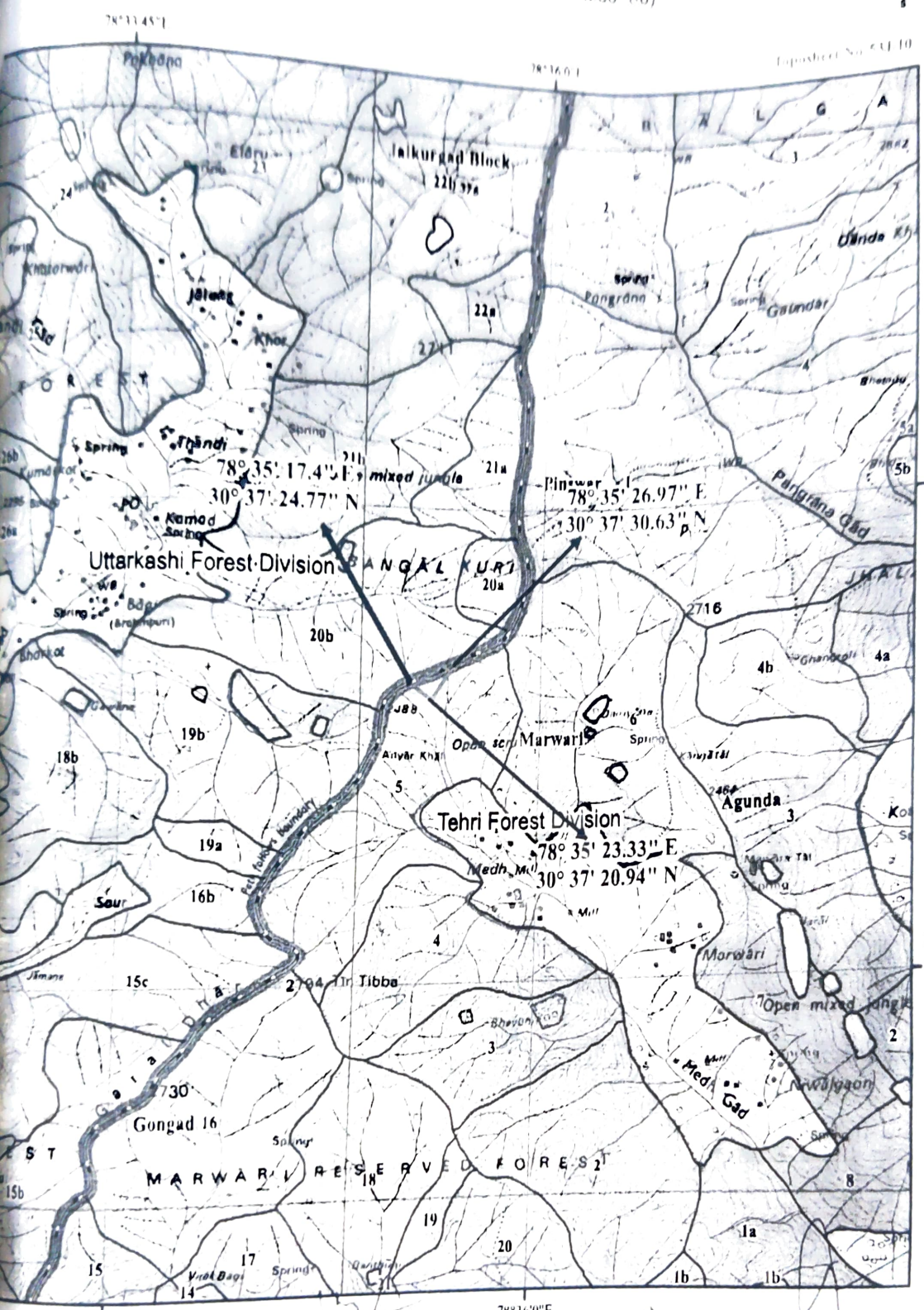
1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरा नगर फ़ैक्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

(पुनीत तोमर)

प्रभागीय वनाधिकारी

उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बोंगा भेलूडा मोटर मार्ग का
 घड़ियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.15 हे० सिविल सौगम भूमि हस्तांतरण हेतु
 चयनित वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल 4.230 हे०)



Range Boundary
 Reserve Forest Area
 Division Boundary
 Proposed CA Land

सहायक अधियक्षा
 प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
 भटवाड़ी (उत्तरकाशी)

अधिशामी अधियक्षा
 प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
 भटवाड़ी (उत्तरकाशी)

प्रभाषीय वनाधिकारी
 उत्तरकाशी वन प्रभाग
 उत्तरकाशी

ए.ए.ए.

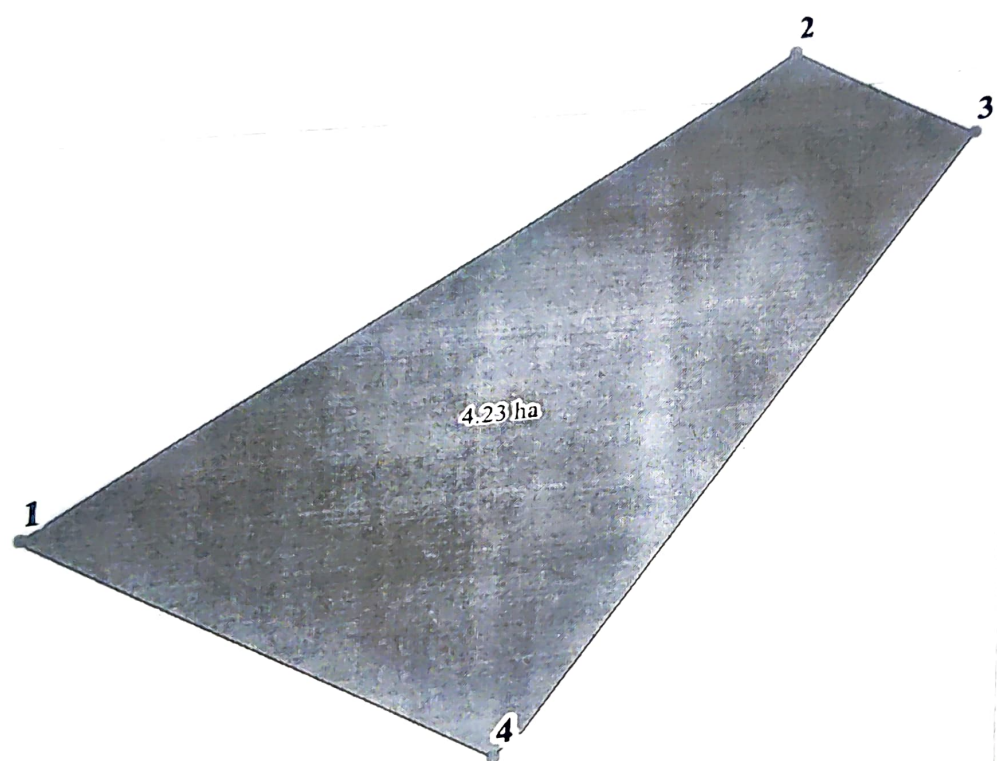
वन क्षेत्राधिकारी
 मुखेम रेंज

0 0.225 0.45 0.9 1.35 1.8 Km

1:50,000

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

जियोरफरन्स मैप:- जनपद उत्तरकाशी के विकास खंड भटवाड़ी में बोंगा भेलूडा मोटर मार्ग का
 घंडियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.15 हे० सिविल सोयम भूमि हस्तांतरण हेतु
 चयनित वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल-4.230 हे०)



30°37'30"N

78°35'30"E

30°37'15"N

प्रभागीय वनाधिकारी
 उत्तरकाशी वन प्रभाग
 उत्तरकाशी

अधिरासी अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
 भटवाड़ी (उत्तरकाशी)

महासक अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
 भटवाड़ी (उत्तरकाशी)

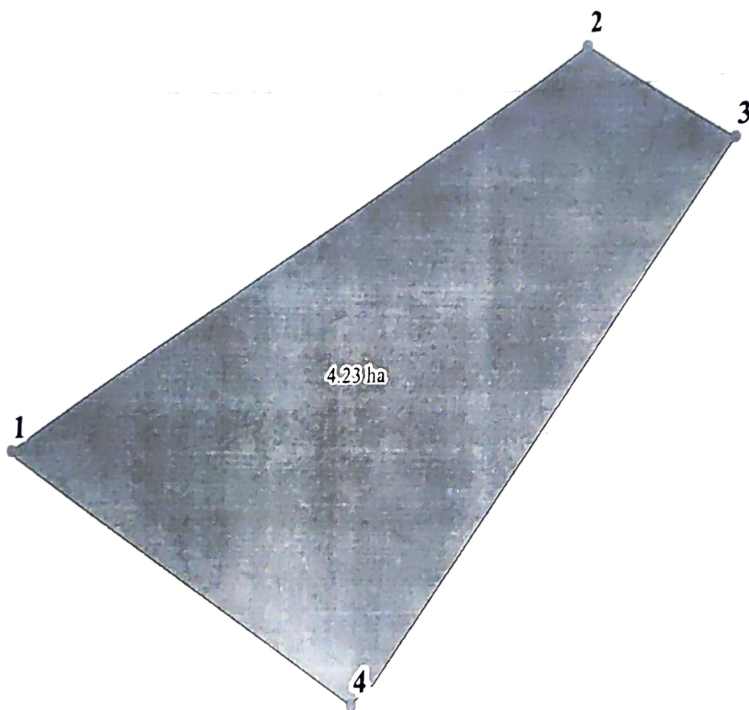
वन क्षेत्राधिकारी
 मुखेम रेंज

Legend

● GPS Location

Plantation Site

जियोरेफेरेंस मैप:- जनपद उत्तरकाशी के विकास खंड भटवाड़ी में बोंगा भेलूडा मोटर मार्ग का घंडियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.15 हे० सिविल सोगम भूमि हस्तांतरण हेतु चयनित वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल-4.230 हे०)



महावक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
भटवाड़ी (उत्तरकाशी)

अधिकासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
भटवाड़ी (उत्तरकाशी)

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

वन क्षेत्राधिकारी
मुखेम रेंज

Coordinates of Plantation Site	
Longitude	Latitude
35° 17.4" E	30° 37' 24.77" N
35° 26.97" E	30° 37' 30.63" N
35° 29.49" E	30° 37' 29.03" N
35° 23.33" E	30° 37' 20.94" N

Legend

- GPS Location
- CA Land



Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकापती के आदेश सं० 1331/ए 1(2), दिनांक 01.02.2020 के द्वारा जारी निर्धारित दरों के अनुसार तैयार किया गया।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु योजना का प्राकल्पन ।

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में बीमा मैलूया मोटर मार्ग का प्राविद्यालयाक्षर तक विस्तारमोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु 2115 है० वन भूमि का गैर वाणिज्यीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रस्तावितन के सम्बन्ध में।

वृक्षारोपण स्थल का नाम :- आरक्षित वन जलपुरगाम कक्षा सं० 1941 वृक्षारो० सं०/फ० 423 है०।

वृक्षारोपण व्यय प्रति है० (1100 पौध)

क्र०सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर	प्रति	घनराशि
1	2	3	4	5	6	7
प्रथम चरण :- अग्रिम मृदा कार्य।						
1	सी एव सीमांकन	1	है०	181 00	है०	181 00
2	है० की सफाई (झाड़ों हटान आदि)	1	है०	5436 00	है०	5436 00
3	प्लानबन्दी (परिसर) 150 रजिग मी० 150x0 60x0 45/2x1 20 94 50M ³	1	है०	37705 00	है०	37705 00
4	गडडा खुदान (0 30x0 30x0 45)	1100	गडडा	11 42	गडडा	12562 00
5	निरीक्षण बाटोना बनाना	1	है०	1095 00	है०	1095 00
6	पौधा का कीमत (प्रथम वर्ष) 75 प्रतिशत पौलीथीन बैग पौधरोपण हेतु	1100	पौध	9 75	पौध	10725 00
7	मृदा एव जल संरक्षण कार्य।	1 0	है०	10000 00	है०	10000 00
8	अन्य व्यय जैसे यन्त्र, सयन्त्र औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	1 0	है०	1000 00	है०	1000 00
योग :- प्रथम चरण						78704.00

द्वितीय चरण :- रोपण कार्य।

1	पौधा का रखरखाव (द्वितीय वर्ष)	1100	पौध	1.89	पौध	2079 00
2	पौध डुलान नद 10 प्रतिशत डुलान में क्षतिपूर्ति सहित 25 प्रतिशत नदी व 75 प्रतिशत बैग पौध लदाई व उतराई सहित।	1100	पौध	7.79	पौध	8569.00
3	उत्तराई पथर छानकर गड्डों का खाद/किटनाशक मिलाकर भरण कमाला 30x0 30x0 45	1100	गड्डे	2.04	गड्डा	2244.00
4	पौधरोपण करना अच्छी प्रकार दगाना, थावला बनाना, न रोपण क्षेत्र के अन्दर डुलान सहित।	1100	पौध	3.84	पौध	4224.00
5	गसायनिक खाद 25 ग्रा० प्रति गड्डा/किटनाशक 16/-कि०	1100	पौध	1.35	पौध	1485.00
6	निर्गद-गुड़ाई व मल्लिंग (दो बार)	1100	पौध	5.05	पौध	5555.00
7	रोपण वर्ष में वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव पर व्यय	1	है०	7725.00	है०	7725 00
8	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	684.00	है०	684.00
9	अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौध डुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पौलीथीन रोट क्रय वर्ष में न. पौध वार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार प्रसार एवं डेक्कमेटेशन आदि कार्य	1	है०	1700 00	है०	1700 00
योग :- द्वितीय चरण						34265.00

तृतीय चरण :- अनुरक्षण प्रथम वर्ष

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10300 00	है०	10300 00
2	निर्गद-गुड़ाई व मल्लिंग कार्य	1100	पौध	2 53	पौध	2783.00
3	पौधरोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की सिनाई।	1100	पौध	1 50	पौध	1650.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	684.00	है०	684.00
योग :-						15417.00

चतुर्थ चरण :- अनुरक्षण द्वितीय वर्ष

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10300.00	है०	10300.00
2	निर्गद-गुड़ाई व मल्लिंग कार्य	1100	पौध	2.53	पौध	2783.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	684.00	है०	684.00

योग :-					13767.00
पंचम चरण :- अनुरक्षण तीसरा वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तीसरा वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	₹0	10300.00	₹0 10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	₹0	684.00	₹0 684.00
योग :-					10984.00
षष्ठम चरण :- अनुरक्षण चौथा वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चौथा वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	₹0	10300.00	₹0 10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	₹0	684.00	₹0 684.00
योग :-					10984.00
साप्तम चरण :- अनुरक्षण पंचम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	₹0	10300.00	₹0 10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	₹0	684.00	₹0 684.00
योग :-					10984.00
अष्टम चरण :- अनुरक्षण षष्ठम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	₹0	10300.00	₹0 10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	₹0	684.00	₹0 684.00
योग :-					10984.00
नवम चरण :- अनुरक्षण सप्तम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	₹0	10300.00	₹0 10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	₹0	684.00	₹0 684.00
योग :-					10984.00
दशम चरण :- अनुरक्षण अष्टम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	₹0	10300.00	₹0 10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	₹0	684.00	₹0 684.00
योग :-					10984.00
एकदशम चरण :- अनुरक्षण नवम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	₹0	10300.00	₹0 10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	₹0	684.00	₹0 684.00
योग :-					10984.00
द्वादशम चरण :- अनुरक्षण दशम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	₹0	10300.00	₹0 10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	₹0	684.00	₹0 684.00
योग :-					10984.00
कुल योग :-					230025.00

नोट :- प्रमाण के आगणन अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि 230025.00 है, किन्तु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून के आदेश सं०-972/3-5-2 दिनांक 21.11.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि मु०-3,37,184.00 निर्धारित की गई है। अतः क्षति० वृक्षा० की धनराशि मु०-3,37,184.00 से निकाली जा रही है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है० = 3,37,184.00
परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल = 2.115 है० $\times 2 = 4.23$ है०।
दोनुने क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशि = $4.23 \times 3,37,184.00 = 14,26,288.32$ रु०
Or Say = 14,26,288.00 Rs.

वन क्षेत्राधिकारी
मुख्यम रेंज

प्रमाणाय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रमाण
उत्तरकाशी।

राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण / दूरी का प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम :-

मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.525तक)

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य 3.525 किमी० के अन्तर्गत किसी वन विहार नेशनल पार्क के अन्तर्गत भूमि नहीं पड़ती है, तथा इससे वन्य जीव जन्तु व पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होगी। प्रस्तावित योजना की राष्ट्रीय पार्क से दूरी 97 किमी० है।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग


तहसील
भटवाड़ी
उत्तरकाशी


वन क्षेत्राधिकारी
मुख्यम एजि


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

कार्य का नाम :-

मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.525तक)

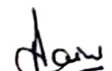
न्यूनतम वृक्षों का पातन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समरेखण में कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा ।


वन क्षेत्राधिकारी,
वनक्षेत्राधिकारी,
मुख्यमं रेंज
उत्तरकाशी वन प्रभाग


प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
भटवाड़ी


अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

बॉझ/बुरांस वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

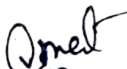
कार्य का नाम :-

:-

मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है0 सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी0 3.525तक)

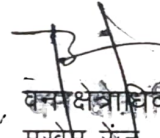
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग (किमी0 3.525 तक) हेतु सिविल सोयम वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु मेरे द्वारा दिनांक 23/1/2015 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त समरेखण में बॉझ प्रजाती के 12 वृक्ष एवं बुरास प्रजाति के 14 वृक्ष आ रहे हैं जिनका मो0 मार्ग निर्माण कार्य हेतु पातन किया जाना आवश्यक है जिसकी गणना सूची संलग्न है।

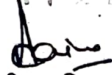

अनुभागीय अधिकारी
मुख्य वन


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
भटवाड़ी

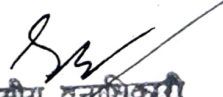

वन अधिकारी
भटवाड़ी बीट


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
भटवाड़ी


वन अधिकारी
मुख्य वन
उत्तरकाशी वन प्रभाग


अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
भटवाड़ी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

कार्य का नाम :-

मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य के अन्तर्गत सिविल सोयम वन भूमि/नाप भूमि में पड़ने वाले बाँझ तथा बुरांस वृक्षों के पातन की सूची व्यासवार गोश्वारा

क्र०स०	कम्पार्टमेंट	क्षेत्रफल है०	वन कक्ष	प्रजाति	0-20	20-30	30-40	40-50	50-60	कुल
1	सिविल सोयम वन भूमि	2.115	ग्राम-अलेथ	बाँझ	06	02	03	0	01	12
2	सिविल सोयम वन भूमि	2.115	ग्राम-अलेथ	बुरांस	06	06	02	0	0	14

अमीन
प्रा०ख०लो०नि०वि०
भटवाड़ी

कनिष्ठ अभियन्ता

प्रा०ख०लो०नि०वि०
भटवाड़ी

सहायक अभियन्ता

प्रा०ख०लो०नि०वि०
भटवाड़ी

अधिशाली अभियन्ता

प्रा०ख०लो०नि०वि०
भटवाड़ी

वन बीट अधिकारी
बाडागडडी बीट

अनुभाग अधिकारी

मुख्य रेंज

वन क्षेत्र अधिकारी

उत्तरकाशी मुख्यालय
उत्तरकाशी वन प्रभाग

प्रभागीय वन अधिकारी

उत्तरकाशी वन प्रभाग

उत्तरकाशी

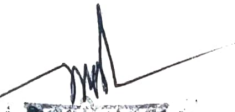
क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम :-

मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 हे० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.525तक)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल 2.115 हे० के दो गुने क्षेत्र 4.230 हे० पर वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल पटुडी खसरा न० 2609 की सिविल सोयम भूमि उपयुक्त है।


रा०उ०नि०
पटुडी


तहसीलदार
डुण्डा

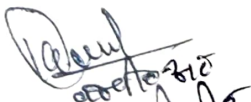

उपजिलाधिकारी
डुण्डा
प्रतिहस्ताक्षर


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी
उत्तरकाशी


जिलाधिकारी
उत्तरकाशी


वन क्षेत्राधिकारी
डुण्डा वन प्रभाग
उत्तरकाशी वन प्रभाग


प्रतिहस्ताक्षर
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी


उत्तरकाशी
उत्तरकाशी

प्रारूप 11
वन भूमि की मांग का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए विस्तृत आख्या

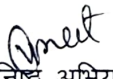
कार्य का नाम :- मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.525तक)

सयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता आर्थिक मितव्ययता तथा तकनीकी दृष्टि से जो समरेखण सर्वदा उपयुक्त पाया गया उसमें 2350 मी० लम्बाई में सिविल सोयम वन भूमि तथा 1175 मी० लम्बाई में नाप प्रभावित होगी। इस समरेखण में कुल 2.115 है० सिविल सोयम भूमि तथा 1.058 है० नाप भूमि की आवश्यकता होगी। इस समरेखण में विभिन्न प्रजाति के 175 वृक्ष (बांज, चीड़, बुरांस, पदम, कचनार) परियोजना के निर्माण कार्य से प्रभावित होंगे।

इस समरेखण की तुलना में मार्ग का वैकल्पिक समरेखण यदि चयनित समरेखण के उपर रखा जाता है तो वैकल्पिक समरेखण में अनावश्यक एच०पी० बैण्ड देने होंगे जिससे मार्ग की लम्बाई बढ़ेगी और अत्यधिक वृक्ष प्रभावित होंगे तथा वैकल्पिक समरेखण में आम ग्राम सभा की आपत्ति होने के कारण निर्माण करना सम्भव नहीं है इसलिए वैकल्पिक समरेखण पर विचार नहीं किया गया है।

उक्त परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्रम संख्या	गांव का नाम	ग्राम कोड	कुल जनसंख्या	कुल एस०सी०	कुल एस०टी०
1	अलेथ गांव	040803	394	27	0
2	धनपुर	040801	274	59	0


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
भटवाड़ी उत्तरकाशी


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
भटवाड़ी उत्तरकाशी

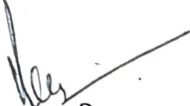

अधिशाली अभियन्ता,
प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०,
भटवाड़ी उत्तरकाशी

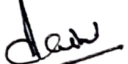

प्रभागीय वन अधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम :- मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.525तक)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु 200000रु प्रति किमी की दर से 705000रु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी उत्तरकाशी


अधिशाली अभियन्ता
प्रा०खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी उत्तरकाशी

प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

कार्य का नाम :- मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.525तक)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी उत्तरकाशी

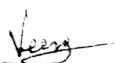

अधिशाली अभियन्ता
प्रा०खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी उत्तरकाशी

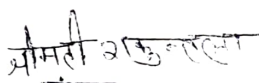
आम ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र

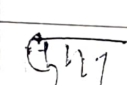
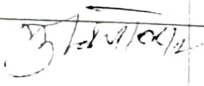
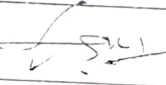
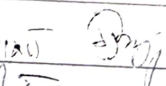
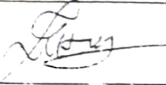
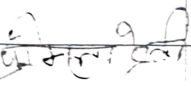
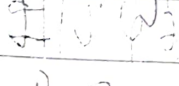
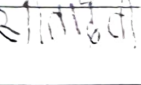
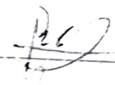
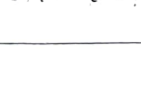
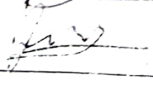
आज दि० ०८/०२/२०१५ को ग्राम पंचायत हानपुर की आम खुली बैठक में समस्त ग्रामवासियों के समक्ष आहूत की गयी जिसमें बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु समरेखण के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया है, कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय लो०नि०वि०, भटवाड़ी उत्तरकाशी के द्वारा जो उक्त मोटर मार्ग का समरेखण किया गया है, उक्त समरेखण को सर्वसहमति व बहुमत के आधार पर सही पाया गया है। हम समस्त ग्रामवासी मोटर मार्ग के समरेखण से सहमत है, कि ग्राम पंचायत की सिविल सोयम वन भूमि, नाप भूमि, ग्राम पंचायत भूमि तथा आरक्षित भूमि को सर्व सहमति से मोटर मार्ग निर्माण हेतु देने को सहमत है, क्योंकि इसमें न्यूनतम वृक्षों की क्षति होगी।

आज की बैठक को ग्राम सभा के बैठक रजिस्टर के क्रमांक ०१५ में प्रस्ताव सं० १५ के रूप में दर्ज किया गया है।

ग्रामवासियों के हस्ताक्षर निम्नत है :-


सदस्य
क्षेत्र पंचायत मानपुर
विकासखण्ड-भटवाड़ी
जिला-उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)


प्रधान
ग्राम पंचायत- हानपुर
वि०ख०- भटवाड़ी, उत्तरकाशी

ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर	क्रम सं०	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर
श्री वि० सु० वि० २३५०		९	सुभन वि०	
श्री वि० सु० वि० २३५०		१०	श्री वि० सु० वि० २३५०	
श्री वि० सु० वि० २३५०		११		
श्री वि० सु० वि० २३५०		१२	श्री वि० सु० वि० २३५०	
श्री वि० सु० वि० २३५०		१३	श्री वि० सु० वि० २३५०	
श्री वि० सु० वि० २३५०		१४	श्री वि० सु० वि० २३५०	
श्री वि० सु० वि० २३५०		१५	श्री वि० सु० वि० २३५०	
श्री वि० सु० वि० २३५०		१६	श्री वि० सु० वि० २३५०	

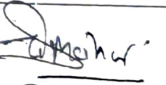
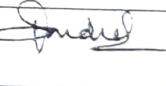
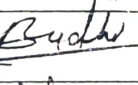
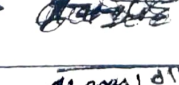
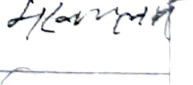
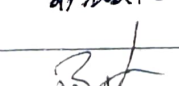
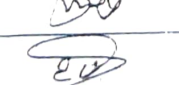
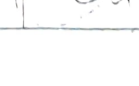
सदस्य
क्षेत्र पंचायत मानपुर
विकासखण्ड-भटवाडी
जिला-उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)

आम ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र

आज दि० २५/०८/२०१५ को ग्राम पंचायत ~~आलेख~~ की आम खुली बैठक में समस्त ग्रामवासियों के समक्ष आहूत की गयी जिसमें बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु समरेखण के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया है, कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, भटवाडी उत्तरकाशी के द्वारा जो उक्त मोटर मार्ग का समरेखण किया गया है, उक्त समरेखण को सर्वसहमति व बहुमत के आधार पर सही पाया गया है। हम समस्त ग्रामवासी मोटर मार्ग के समरेखण से सहमत हैं, कि ग्राम पंचायत की सिविल सोयम वन भूमि, नाप भूमि, ग्राम पंचायत भूमि तथा आरक्षित वन भूमि को सर्व सहमति से मोटर मार्ग निर्माण हेतु देने को सहमत है, क्योंकि इसमें न्यूनतम वृक्षों की क्षति होगी।

आज की बैठक को ग्राम सभा के बैठक रजिस्टर के क्रमांक में प्रस्ताव सं०..... के रूप में दर्ज किया गया है।

ग्राम वासियों के हस्ताक्षर निम्नत है :-

क्रम सं०	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर	क्रम सं०	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर
१	प्रदिपापाल		(७)	जी.वि.दहिह	
२	देवीसिंह महर		(१०)	विजय सिंह महर	
३	पु.दि. सिंह रावत		(११)	मंगलनाथ सिंह	
४	राम चंद्र सिंह		(१२)		
५	दीपक सिंह		(१३)	मदन लाल	
६	कल्याण सिंह		(१४)	जितेंद्र महर	
७	महेश सिंह		(१५)	मोतीलाल	
८	हनुमन्त		(१६)		

जीता रावत
प्रधान

सदस्य
क्षेत्र पंचायत मानपुर

आम ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र

ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर	कम सं०	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर
शु 21/1/11/12	शु 21/1/11/12	37	शु 21/1/11/12	शु 21/1/11/12
रमेश लाल	Ram Lal	38	रमेश लाल	रमेश लाल
मनोहर सिंह	Manoj Singh	39	प्रेमा	प्रेमा
विनोद	Vinod	40	श्रीमती देवी	श्रीमती देवी
विनोद	Vinod	41	विनोद देवी	विनोद देवी
पद्म सिंह	Padm Singh	42	पद्मा देवी	पद्मा देवी
RAMESH SINGH	Ramesh Singh	43	मंजू देवी	मंजू देवी
मनोहर सिंह	Manoj Singh	44	श्रीमती देवी	श्रीमती देवी
मनोहर सिंह	Manoj Singh	45	श्रीमती देवी	श्रीमती देवी
श्रीश्याम सिंह	Shri Shyam Singh	46	रिना देवी	रिना देवी
श्रीमती देवी	श्रीमती देवी	47	श्रीमती देवी	श्रीमती देवी
श्रीमती देवी	श्रीमती देवी	48	श्रीमती देवी	श्रीमती देवी
श्रीमती देवी	श्रीमती देवी	49	श्रीमती देवी	श्रीमती देवी
श्रीमती देवी	श्रीमती देवी	50	श्रीमती देवी	श्रीमती देवी
श्रीमती देवी	श्रीमती देवी	51	श्रीमती देवी	श्रीमती देवी
श्रीमती देवी	श्रीमती देवी	52	श्रीमती देवी	श्रीमती देवी
श्रीमती देवी	श्रीमती देवी	53	श्रीमती देवी	श्रीमती देवी
श्रीमती देवी	श्रीमती देवी	54	श्रीमती देवी	श्रीमती देवी
श्रीमती देवी	श्रीमती देवी	55	श्रीमती देवी	श्रीमती देवी
श्रीमती देवी	श्रीमती देवी	56	श्रीमती देवी	श्रीमती देवी

आम ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र

क्रम सं०	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर	क्रम सं०	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर
17	शु 21/1/11/11	Yashwan			
18	रमेश लाल	Ram Lal			
19	गंगा सिंह	Ganga Singh			
20	विजय सिंह	Vijay Singh			
21	श्री राम	श्री राम			
22	पद्म सिंह	पद्म सिंह			
23	RAMESH SINGH	Ramesh Singh			
24	कल्याण सिंह	कल्याण सिंह			
25	लक्ष्मी सिंह	Lakshmi Singh			
26	श्री श्याम सिंह	श्री श्याम सिंह			
27	श्री उमेश महर	श्री उमेश महर			
28	श्री उमेश महर	श्री उमेश महर			
29	श्री मल्लिकार्जुन देवी	श्री मल्लिकार्जुन देवी			
30	श्री उमेश महर	श्री उमेश महर			
31	श्री रमेश महर	श्री रमेश महर			
32	श्री चमक सिंह	Chamak Singh			
33	" उमेश महर	Umesh Mahr			

चेतन
नीला रावत
प्रधान
पंचायत- अलेख
जिला-उत्तरकाशी

सदस्य
क्षेत्र पंचायत मानपुर
विकासखण्ड-भटवाडी
जिला-उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)

परियोजना का नाम :-

मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत अनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा - भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियाल धार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम :- धनपुर।
तहसील :- भटवाड़ी, जिला - उत्तरकाशी।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत अनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा - भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियाल धार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है० सिविल सोयम वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, भटवाड़ी/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यवर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धनपुर द्वारा दि० २२.०३.२०१५ को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह कि वनाधिकारी अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सहमति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धनपुर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, भटवाड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


हो धनपुर
ग्राम सचिव


ग्राम पंचायत-धनपुर
खण्ड-भटवाड़ी, उत्तरकाशी

:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नाम :- प्रपत्र-23.2

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ~~अटवाडी~~

उपखण्ड ~~अटवाडी~~ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ~~वेगा-भेलुडा मोटर मार्ग से धरिया~~
वेगा-भेलुडा मोटर मार्ग से धरिया
व न पंचायत भूमि, हे० आरक्षित वन भूमि, -- हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि हे०
अर्थात् कुल 2.115 हे० वन भूमि) का
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ~~अटवाडी~~) की दिनांक 11-2-2015 को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री ~~के. के. सिंह~~, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं।

- 1- श्री ~~के. के. सिंह~~ उपजिलाधिकारी ~~अटवाडी~~ अध्यक्ष
- 2- श्री ~~आ. ह. श्री~~ उप प्रभागीय वनाधिकारी ~~अटवाडी~~ सदस्य
- 3- श्री ~~हरविन्द कुमार~~ सहायक समाज कल्याण अधिकारी ~~अटवाडी~~ सदस्य/सचिव
- 4- श्री ~~विनायक~~ बी०जी०सी० क्षेत्र ~~अटवाडी~~ सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि

परियोजना हेतु 2.115 हे० वन

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम समा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, -- द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
इस संबंध में ग्राम समा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड 212 वाडी परिक्षेत्र के अन्तर्गत
~~वेगा अलुडा मोटर मार्ग से~~ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
 हे० वन भूमि रियोजना के निर्माण हेतु 2.11.5 हे०
 प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

~~उप जिलाधिकारी~~
~~उपखण्ड 212 वाडी~~

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील- 212 वाडी
 जनपद- डूंगर काशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

19
 उप जिलाधिकारी

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील- 212 वाडी
 जनपद- डूंगर काशी

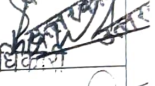
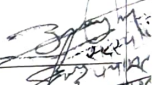
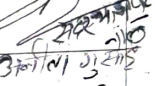
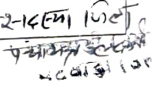
कार्यालय उप जिलाधिकारी... 21/2/15
 उप खण्ड स्तरीय समिति... 21/2/15

आज दिनांक... 11.2.2015 को जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड... 21/2/15 में वार्डा... 10... मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव... 21/2/15... है। के सम्बन्ध में वन अधिनियम-2006 एवं नियम- 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक उप जिलाधिकारी... 21/2/15 की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1-	के. के. सिंह	उप जिलाधिकारी.... 21/2/15	
2-	डार. वी. सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी... धरा स.	
3-	डार. वि. कुमार	सहायक समाज कल्या अधिकारी... 21/2/15	
4-	शमती विना...	बोर्डोसी 0क्षे. पंचायत सदस्य... 21/2/15	

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी
जिला स्तरीय समिति
जिला - उत्तरकाशी।

आज दि. 12/01/18 को जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा - भैलूडा मार्ग से घण्डियालधार तक विस्तार हेतु 2.115 है० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं 200 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति। की बैठक की गई।

क्र०	अधिकारी/जिलापंचायत	पद नाम	हस्ताक्षर
सं०	सदस्य का नाम		
1	डॉ० आशीष चौहान	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।	
2	श्री संदीप कुमार	प्रभागीय वनाधिकारी।	
3	श्री जीत सिंह रावत	जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।	
4	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य, उपला डख्याट गाँव उत्तरकाशी	
5	श्री जितेन्द्र सिंह राणा	जिला पंचायत सदस्य, नाल्ड टकनोर।	
6	श्रीमती अनिता गुसाई	जिला पंचायत सदस्य, कन्सैण	

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT, UTTARKASHI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Dr. Ashish Chauhan I.A.S District Magistrate Uttarkashi on date 12-01-2018 at Uttarkashi in which application claiming rights in civil land area measuring 2.115 hect. for the construction of Bonga Bhelura to Ghandiyaldhar Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub Division level committee of Bhatwari sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place- Uttarkashi

Dated- 12-1-2018


(Dr. Ashish Chauhan)
उत्तरकाशी

District Magistrate

Uttarkashi.

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Uttarkashi

Name of Project-

Motor Road Construction of Bonga Bhelura to
Ghandiyaldhar.

Dated 12-1-2018

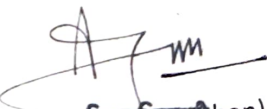
To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.115 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Construction Division P.W.D. Bhatwari in Uttarkashi (Name of user agency) for construction of Bonga Bhelura to Ghandiyaldhar Motor Road (Purpose of diversion of forest land) in Uttarkashi District falls within jurisdiction of Aleth & Dhanpur Village(s) in Bhatwari tehsil(s).

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.115 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.2
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


(Dr. Ashish Chaudhary)
उत्तरकाशी
District Magistrate

Uttarkashi.

It is certified that- Minute of Meeting of Construction of Bonga Bhelura to Ghandiyaldhar Motor Road, Uttarkashi under PWD Bhatwari Uttarkashi in the state of Uttarakhand regarding FRA is as following-

Sr.n		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 2.115 Hect. of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultaions and meeting of the forest Right Committee(s). Sub Division level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the villagers have given consent to it.	Yes, copy records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate concerned villages regarding construction Bonga Bhelura to Ghandiyaldhar Motor Road, Uttarkashi section in the state of Uttarakhand scheme attached.
(c)	The proposal does not involve recogniged rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached and there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.


 (Dr. Ashish Chauhan)
 जिलाधिकारी
 District Magistrate,
 उत्तरकाशी
 Uttarkashi.

FORM-I

Annexure-1

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Uttarkashi.

Motor Road Construction of Bonga Bhailura to
Ghandiyaldhar.

Dated...19-2-2015

NNEXURE

uted under
1 of rights)

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

compliance of the ministry of Environment and forests (FoEF) Government of
No 11-9/98-FC (pt-) dated 3 rd August 2009 wherein the MoEF issued
submission of evidences for having initiated and completed the process of
rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers
(forest Rights) Act. 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be
non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th february 2013 wherein
certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.115** hectares
proposed to be diverted in favour of **Provisional Division P.W.D. Bhatwari** in
District falls within jurisdiction of **Aleth & Dhanpur** village in **Bhatwari** tehsils.
certified that:

complete process for identification and settlement of rights under the FRA has
out for the entire **2.115** hectares of the forest area proposed for diversion a copy
of all consultations and meeting of the forest Rights committee (s) Gram sabha (s)
Level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure
annexure.

diversion of forest land for facilities managed by the Governments as required
on 3-(2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their

proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal groups and
rural communities.

(Indudhar Baurai)
District Magistrate,
Uttarkashi.

l under FRA.
t Magistrate
hts in forest
of forest land
l by the sub
he same for
claims were
ve case for

ai)
hairman
nitte

FORM-I

(For linear Projects)

Annexure-1

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Uttarkashi.
Name of Project:- Motor Road Construction of Bonga Bhailura to
Ghandiyaldhar.

No. 66.....

Dated...19-2-2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (FoEF) Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt-) dated 3 rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th february 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.115** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Provisional Division P.W.D. Bhatwari** in Uttarkashi District falls within jurisdiction of **Aleth & Dhanpur** village in **Bhatwari** tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.115** hectares of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee (s) Gram sabha (s) Sub-Division Level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Governments as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the **gram sabhas** have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal groups and preagricultural communities.

Encl: As above

(Indudhar Baurai)
District Magistrate,
Uttarkashi.

61
ANNEXURE

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Uttarkashi(U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Indudhar Baurai I.A.S. District Magistrate Uttarkashi on date 09-12-2014 at Uttarkashi in which application claiming rights in forest land area measuring 2.115 hect for the **Provisional Division P.W.D. Bhatwari** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Bhatwari sub division** were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

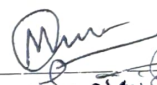
Place; Uttarkashi
Dated:..19/12/15


(Indudhar Baurai)
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee
Uttarkashi.

उत्तरकाशी

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी
जिला स्तरीय समिति
जिला - उत्तरकाशी।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बाँगा - भैलूड़ा मोटर मार्ग से घण्डियालघार तक विस्तार हेतु 2.115 है० वन भूमे का हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति।

क्र०	अधिकारी/जिलापंचायत	पद नाम	हस्ताक्षर
स०	सदस्य का नाम		
1	श्री श्री कै० मिश्रा	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।	
2	श्री विजय बहादूर	प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी।	
3	श्री मदन लाल कोषवाल	जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।	
4	श्रीमती सीमा राणा	जिला पंचायत सदस्य, उपला बाड़ागड्डी।	सीमा राणा
5	श्रीमती मंगला राणा	जिला पंचायत सदस्य, नाल्ड कजूड।	
6	श्रीमती अनिता गुसाई	जिला पंचायत सदस्य, कन्सैण	अनिता गुसाई

It is certified that- Minutes of meeting of Bonga-Bhelura Motor Road Marg to Ghandiyal
 dhar (3.125 km.) Regarding FRA is as Following:-

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 2.115 Hect. of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right Committee (s), Gram Sabha (s), sub division level committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the villagers have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No. Objection certificate of concerns villages regarding construction of aforesaid Motor road attached.
(c)	The proposal does not involve recognition of rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

(B. K. Mishra)
 District Magistrate-cum-Chairman
 District Level Committee
 Uttarkashi.


 B. K. Mishra

कार्य का नाम :- मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.525तक)

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का प्रमाण-पत्र

सिविल सोयम वन भूमि- 2350 मी० लम्बाई 9.00 मी० चौड़ाई 21150 वर्ग मी० = 2.115 है०
 आरक्षित वन भूमि- शून्य मी० लम्बाई - मी० चौड़ाई - वर्ग मी० - है०
 नाप भूमि- 1175 मी० लम्बाई 9.00 मी० चौड़ाई 10575 वर्ग मी० = 1.058 है०

योग = 2.115 है०

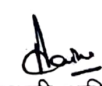
सिविल सोयम भूमि 2.115 है०

आरक्षित वन भूमि - 0.0 है०

नाप भूमि- 1.058 है०

कुल योग:- 3.173 है०


 सहायक अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
 भटवाड़ी उत्तरकाशी


 अधिशासी अभियन्ता
 प्रा०खण्ड लो०नि०वि०
 भटवाड़ी उत्तरकाशी

कार्य का नाम :- मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.525 तक)

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रस्तावित परियोजना हेतु दो समरेखणों पर सवेक्षण किया गया, समरेखण संख्या-02 में मार्ग की लम्बाई अधिक होने के कारण तथा ग्रामवासियों की सहमति न होने के कारण समरेखण निरस्त किया गया। एवं समरेखण सं० 01 में मार्ग लम्बाई कम तथा ग्रामवासियों की सहमति के साथ भूवैज्ञानिक आख्या के आधार पर मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी उत्तरकाशी


अधिशाली अभियन्ता
प्रा०खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी उत्तरकाशी

कार्य का नाम :-

मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.525तक)

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रा०खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी-उत्तरकाशी

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,भटवाड़ी
उत्तरकाशी

प्रमाणित वनाधिकारी
उत्तरकाशी

कार्य का नाम :- मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालघार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.525तक)

भू- वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों / शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान याचक विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी उत्तरकाशी


अधिशाली अभियन्ता
प्रा०खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी उत्तरकाशी

7

वन्य जीव / वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम :- मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.525 तक)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य / रख- रखाव के दौरान याचक विभाग द्वारा वन्य जीव / स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी उत्तरकाशी


अधिशाली अभियन्ता
प्रा०खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी उत्तरकाशी

कार्य का नाम :-

मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.525तक)

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्रम संख्या	गांव का नाम	ग्राम कोड	कुल जनसंख्या	कुल एस०सी०	कुल एस०टी०
1	अलेथ गांव	040803	394	27	0
2	धनपुर	040801	274	59	0

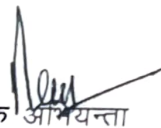

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
भटवाड़ी उत्तरकाशी


अधिशाली अभियन्ता,
प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०, भटवाड़ी
उत्तरकाशी

दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का
प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम :- मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 हे० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.525तक)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु 2.115हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के एवज में दुगने अवनत वन क्षेत्र अर्थात् 4.230 हे० में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार रुपये की धनराशि याचक विभाग द्वारा वन विभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
भटवाड़ी उत्तरकाशी


अधिशाली अभियन्ता,
प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०, भटवाड़ी
उत्तरकाशी

मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ा में बौगा बैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालघार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.525तक)

कास खण्ड
विस्तार मो
न भूमि हस्त.

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता पर्यावरण स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

का वर्तमान

१००- स्मृति होता


अधिशाली अभियन्ता,
प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०, भटवाड़ी
उत्तरकाशी

अभियन्ता,
लो०नि०वि०,
उत्तरकाशी

कार्य का नाम :- मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोट निर्माण कार्य हेतु 2.115 हे० सिविल सोयम वन भूमि हस्त प्रस्ताव (किमी० 3.525तक)

जिलाधिकारी का भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 2.115 हे० वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रुपये 1200- सस्य प्रति हे० है तथा वन भूमि का कुल मूल्य रु० 126900- सस्य होता है तथा वार्षिक लीज रेंट x प्रतिशत की दर से x रु० होता है।

रा०उ०नि०
बौगा

तहसीलदार
भैलूडा
बटवाह

जनपद-उत्तरकाशी

जिलाधिकारी
जनपद-उत्तरकाशी

प्रतिहस्ताक्षर

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

कार्य का नाम :- मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालघार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.525तक)

एन०पी०बी० जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र
(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दि० 28.3.08 व 9.5.2008 के अनुसार)

प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (सिविल /आरक्षित /वन पंचायत) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दि० 28.3.08 के अनुसार निर्धारित इको क्लास VI के अन्तर्गत आता है।

उपरोक्तानुसार उक्त वन क्षेत्र धनत्व ०.१० प्रतिशत है जिस हेतु एन०पी०बी० की प्रति है० दर 6.११ लाख मात्र देय है।

उक्त दर के अनुसार एन०पी०बी० की धनराशि का आगणन रु० 1478385.० लाख मात्र किया गया है जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०,भटवाड़ी।
भटवाड़ी उत्तरकाशी


अधिशाली अभियन्ता,
प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०,भटवाड़ी
उत्तरकाशी

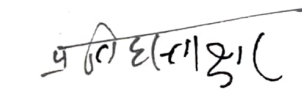
734

कार्य का नाम :- मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.525तक)

एन०पी०बी० धनराशि का प्रमाण पत्र

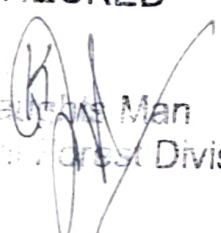
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पड़ने वाली वन भूमि इको क्लास के अन्तर्गत आती है। तथा इसकी इको वैल्यू श्रेणी अति संधन वन की है। उल्लेखित ईकोक्लास व ईको वैल्यू हेतु निर्धारित रू० 6.99 लाख प्रति हैक्टेयर की दर से प्रस्तावित वन भूमि 2.115 है० की निवल वर्तमान मूल्य एन०पी०बी० रू० 1478385 लाख आगणित की जाती है।


वन क्षेत्राधिकारी
मुख्यम एजि.



प्रमाणित किया जाता है,
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

CHECKED


Draughts Man
Uttarakashi Forest Division

कार्य का नाम :-

मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.525तक)

मूल्य लाभ विश्लेषण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक 3.525 किमी० लम्बाई हेतु 2.115 है० सिविल सोयम भूमि प्रयुक्त होगी।

उक्त सिविल सोयम वन भूमि का क्षेत्रफल 5.00 से कम है अतः मूल्य लाभ सम्बन्धी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

वन क्षेत्राधिकारी
मुख्यमं रंज
उत्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी

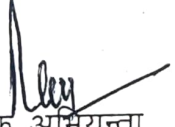
कार्य का नाम :- मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.525तक)

स्थल विशिष्ट होने न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट नहीं है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
भटवाड़ी उप वन प्रभाग
उत्तरकाशी।


उप प्रभागीय वनाधिकारी
उप वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
भटवाड़ी उत्तरकाशी


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खण्ड, लो० नि० वि०
भटवाड़ी।


रा० उ० नि०
बौगा


तहसीलदार
भटवाड़ी
उत्तरकाशी


उप प्रभागीय वनाधिकारी
भटवाड़ी उप वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।


उप प्रभागीय वनाधिकारी
भटवाड़ी उप वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।

प्रतिहस्ताक्षर

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

मिट्टी तेल / रसोई गैस की आपूर्ति का प्रमाण पत्र

कार्य का नाम :- मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालघार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.525तक)

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना हेतु प्रस्तावित स्थल पर कार्य करने वाले मजदूरों को मिट्टी का तेल व गैस की व्यवस्था की जायेगी, वन सम्पदा को मजदूरों द्वारा किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।



सहायक अभियन्ता

प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०, भटवाड़ी।
उत्तरकाशी।



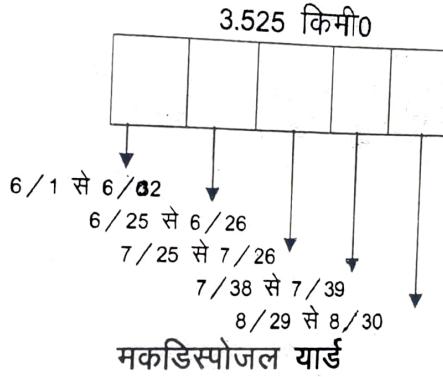
अधिशाली अभियन्ता,
प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०, भटवाड़ी
उत्तरकाशी

मक डिस्पोजल प्लान

कार्य का नाम :-

मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास ख
भटवाड़ी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्त
मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है० सिविल सोयम वन भू
हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.525तक)

- 1:- कास से० न० 6/1 से 6/2
- 2:- कास से० न० 6/25 से 6/26
- 3:- कास से० न० 7/25 से 7/26
- 4:- कास से० न० 7/38 से 7/39
- 5:- कास से० न० 8/29 से 8/30



सिविल वन भूमि	2.115 है०
आरक्षित वन भूमि	-
योग:-	2.115 है०

मार्ग निर्माण कार्य से उत्पन्न मलवे को चिन्हित किये गये स्थानों पर डाला जायेगा।

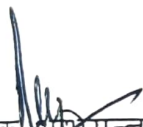
Omeeet
कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी

Neey
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी

dbw
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी

परियोजना से उत्पादित मलवे के निस्तारण की समानयिक योजना संलग्न

कार्य का नाम :- मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.525तक)


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
भटवाड़ी

कार्य का नाम :-

मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.525तक)

आर०सी०सी० पिलरो के व्यय को वहन करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन सवेक्षण हेतु आर०सी०सी० पिलरो में आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
भटवाडी


अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
भटवाडी

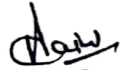
कार्य का नाम :-

मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालघार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.525तक)

आर०सी०सी० पिलरो के सीमांकन का प्रमाण प्रत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि की स्वीकृती के पश्चायत मार्ग के दोनो ओर आर०सी०सी० पिलरो के सीमांकन का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
भटवाड़ी


अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
भटवाड़ी

कार्य का नाम :-

मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा भैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियालधार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 है० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.525 तक)

गंगोत्री सेंसिटिव जोन का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित स्थल राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा नहीं है तथा इको सेंसिटिव जोन के अन्तर्गत नहीं आता है।

उपवन संरक्षक

उत्तरकाशी वन प्रभाग

उत्तरकाशी।

Ex. Engineer
Provincial Division P.W.D.
Bhatwari

वन क्षेत्राधिकारी
मुख्यमंत्रि